बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–1/पी0सी0आर0(विविध) 09–09/2012– 2345

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक– 15/10/2012

विषय– **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित/आश्रितों को पेंशन भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–744 दिनांक–28.03.2012 एवं मुख्य सचिव के पत्रांक–1320 दिनांक–18.06.2012 द्वारा नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, असमर्थता और डकैती के मामलों में पीड़ितों को भुगतान की गयी राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर मृतक के विधवा या अन्य आश्रितों को ₹3000/–(तीन हजार) प्रतिमाह के दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान इत्यादि आवश्यक है तो तत्काल खरीद द्वारा उपलब्ध कराने की ओर आपका ध्यानाकृष्ट किया गया था। इस संबंध में कुछ जिलों से पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन की माँग किया गया था। तदनुसार उक्त प्रावधान के अन्तर्गत पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में निम्न रूप से स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1– नियम–1995 के प्रावधान के अनुसार मृतक के प्रत्येक विधवा या अन्य आश्रितों को ₹3000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

2– पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह लाभार्थी की निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

3– इसपर होने वाले व्यय का वहन अत्याचार राहत मद् के लिए आवंटित राशि से विकलनीय होगा।

4– अत्याचार राहत के प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग लेखा, पंजी में संधारित किया जायेगा। सभी जिला इस वर्ष अत्याचार राहत मद के लिए उनके जिलों में आवश्यक राशि का आकलन कर प्रत्येक मद् के लिए अलग–अलग मांग पत्र विभाग को उपलब्ध करायें।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधान के अनुसार आपके जिलान्तर्गत पीड़ित आश्रितों के लिए ₹3000/– प्रतिमाह पेंशन स्वीकृति के मामलों का शीध्र निष्पादन किया जाय तथा जितने मामलों में पेंशन की स्वीकृति दी जाती है, उसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

15/10/12

सरकार के सचिव।

संजय

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)–09–09/2012– 2345 पटना, दिनांक– 15/10/2012

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/सभी विशेष पदाधिकारी(नियम–10 के तहत)/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/x/12

सरकार के सचिव।

संजय

Rameshwar babu sanjay